छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–23/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर,दिनांक 05/12/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख,
छत्तीसगढ़, अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– आवेदनकर्ता उपमंडल अभियंता, भारत संचार निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोण्डागांव जिले के दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल अंतर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 2.181 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः– 1. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–ए/115–859/2301, दिनांक 04.10.2023।

––––000––––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानो के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :–

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	कक्ष क्रमांक	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	कोंडागांव	कोंडागांव	कोंडागांव	दक्षिण गोलावण्ड	आरक्षित वन भूमि	RF 566	2533	0.45	0.114
2	–"–	–"–	कोंडागांव	दक्षिण गोलावण्ड	आरक्षित वन भूमि	RF 568	1289	0.45	0.058
3	–"–	–"–	कोंडागांव	दक्षिण गोलावण्ड	आरक्षित वन भूमि	RF 567	978	0.45	0.044
4	–"–	–"–	कोंडागांव	दक्षिण गोलावण्ड	आरक्षित वन भूमि	RF 569	1800	0.45	0.081
5	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 151	1622	0.45	0.073
6	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 152	2000	0.45	0.090
7	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 106	1200	0.45	0.054
8	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 118	956	0.45	0.043
9	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 163	711	0.45	0.032
10	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 162	2711	0.45	0.122
11	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 221	2600	0.45	0.117
12	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 222	1311	0.45	0.059
13	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 166	1778	0.45	0.080
14	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 278	1756	0.45	0.079
15	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 270	1289	0.45	0.058
16	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 272	1156	0.45	0.052

Rajib

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	कक्ष क्रमांक	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
17	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 266	1044	0.45	0.047
18	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 268	289	0.45	0.013
19	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 265	800	0.45	0.036
20	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 261	2222	0.45	0.100
21	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 259	1378	0.45	0.062
22	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 260	111	0.45	0.005
23	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 246	2000	0.45	0.090
24	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 247	1000	0.45	0.045
25	–"–	–"–	माकड़ी	माकड़ी	आरक्षित वन भूमि	RF 223	67	0.45	0.003
आरक्षित वनभूमि का योग							**34601**	**0.45**	**1.557**
26	कोंडागांव	कोंडागांव	मुलमुला	चिखलपुटी	संरक्षित वन भूमि	PF 344	911	0.45	0.041
27	–"–	–"–	दहीकोंगा	संबलपुर	संरक्षित वन भूमि	PF 453	511	0.45	0.023
28	–"–	–"–	कोंडागांव	संबलपुर	संरक्षित वन भूमि	PF 448	556	0.45	0.025
29	–"–	–"–	कोंडागांव	संबलपुर	संरक्षित वन भूमि	PF 449	556	0.45	0.025
30	–"–	–"–	दहीकोंगा	जामगांव	संरक्षित वन भूमि	PF 519	489	0.45	0.022
31	–"–	–"–	दहीकोंगा	जामगांव	संरक्षित वन भूमि	PF 521	822	0.45	0.037
32	–"–	–"–	कोंडागांव	जामगांव	संरक्षित वन भूमि	PF 524	556	0.45	0.025
33	–"–	–"–	माकड़ी	छोटे सलना	संरक्षित वन भूमि	PF 101	378	0.45	0.017
34	–"–	–"–	माकड़ी	शामपुर	संरक्षित वन भूमि	PF 102	444	0.45	0.020
35	–"–	–"–	अमरावती	बीजापुर	संरक्षित वन भूमि	PF 404	978	0.45	0.044
36	–"–	–"–	अमरावती	पोलकाबेड़ा	संरक्षित वन भूमि	PF 410	1222	0.45	0.055
37	–"–	–"–	अमरावती	बिजोली	संरक्षित वन भूमि	PF 418	800	0.45	0.036
संरक्षित वनभूमि का योग							**8223**	**0.45**	**0.370**
38	–"–	–"–	कोंडागांव	दहीकोंगा "ई"	असीमांकित संरक्षित वनभूमि	OA 565 (930)	1422	0.45	0.064
39	–"–	–"–	माकड़ी	सी.स.व.उत्तर बरकई	असीमांकित संरक्षित वनभूमि	OA 99 (657)	622	0.45	0.028
40	–"–	–"–	माकड़ी	सी.स.व.दक्षिण बरकई	असीमांकित संरक्षित वनभूमि	OA 98 (656)	311	0.45	0.014
असीमांकित वनभूमि का योग							**2355**	**0.45**	**0.106**
						कुल	**45179**	**0.45**	**2.033**

क्र.	जिला	प्रभावित वनमंडल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित वन भूमि का प्रकार	खसरा क्रमांक	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	कोंडागांव	कोंडागांव	कोंडागांव	कोंडागांव	राजस्व वन भूमि	325/1	578	0.45	0.026
2	–"–	–"–	बस्तर	भानपुरी	राजस्व वन भूमि	95	67	0.45	0.003
3	–"–	–"–	बस्तर	भानपुरी	राजस्व वन भूमि	93	222	0.45	0.010
4	–"–	–"–	बस्तर	भानपुरी	राजस्व वन भूमि	44	44	0.45	0.002
5	–"–	–"–	बस्तर	भानपुरी	राजस्व वन भूमि	38	245	0.45	0.011
6	–"–	–"–	बस्तर	भानपुरी	राजस्व वन भूमि	43	89	0.45	0.004
7	–"–	–"–	बस्तर	भानपुरी	राजस्व वन भूमि	49	89	0.45	0.004
8	–"–	–"–	बस्तर	भानपुरी	राजस्व वन भूमि	100	111	0.45	0.005
9	–"–	–"–	बस्तर	भानपुरी	राजस्व वन भूमि	46	67	0.45	0.003
10	–"–	–"–	बस्तर	भानपुरी	राजस्व वन भूमि	47	67	0.45	0.003
11	–"–	–"–	बस्तर	भानपुरी	राजस्व वन भूमि	48	133	0.45	0.006
12	–"–	–"–	बस्तर	भानपुरी	राजस्व वन भूमि	40	22	0.45	0.001
13	–"–	–"–	भानपुरी	चिखलपुटी	राजस्व वन भूमि	1/24	178	0.45	0.008
14	–"–	–"–	भानपुरी	चिखलपुटी	राजस्व वन भूमि	1/20	222	0.45	0.010
15	–"–	–"–	भानपुरी	दहीकोगा	राजस्व वन भूमि	2/1 क	155	0.45	0.007
16	–"–	–"–	कोंडागांव	दूधगांव	राजस्व वन भूमि	6/1, 9, 12, 14	667	0.45	0.030
17	–"–	–"–	कोंडागांव	दूधगांव	राजस्व वन भूमि	3/1	200	0.45	0.009
18	–"–	–"–	कोंडागांव	घोड़ागांव	राजस्व वन भूमि	271	133	0.45	0.006
राजस्व वनभूमि का योग							**3289**	**0.45**	**0.148**
कुल योग							**48468** 48.468 कि.मी.	**0.45**	**2.181**

Kgjpal

उक्त 48.468 कि.मी. लंबे तथा 0.45 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 2.181 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 1.557 हे. संरक्षित वन भूमि 0.370 हे. असीमांकित संरक्षित वन भूमि 0.106 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.148 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु मेसर्स उपमंडल अभियंता, भारत संचार निगम लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :–

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नही किया जायेगा।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौडाई 0.45 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी। वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्चे पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा। यदि उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु Horizontal Directional Drilling method (HDD) पद्धति का उपयोग किया जाता है तो, उपयोग किये जाने वाली मशीन के परिवहन हेतु मौजूदा सड़क का उपयोग किया जायेगा तथा अन्य वन क्षेत्र का उपयोग प्रतिबंधित होगा। इस पद्धति के उपयोग में यह ध्यान रखा जाये कि वन क्षेत्र के फ्लोरा एवं फौना तथा Regeneration को क्षति न हो।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई कें अंतर्गत ही बिछाई जावेगी।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्चे को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नही किया जायेगा।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तो का पालन किया जाएगा।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,रायपुर को प्रेषित करेंगे।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को निवेदन करेंगे।

क्रमशः 4

14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्ही शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,

Rajput
5.12.23

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5-23/2023/10-2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 05/12/2023

प्रतिलिपि :-

1.वनमहानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध),कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।

3.मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर, छत्तीसगढ़।

4.वनमंडलाधिकारी, दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल, छत्तीसगढ़।

5.आवेदनकर्ता Sub Divisional Engineer, BSNL, C-18, BSNL Colony Khamardh Raipur, Civil Line, Raipur, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Rajput

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग